यालय उपखण्ड ......अधिकारी...... कठूमर जिला अलवर

2/09/19 तारीख रजू.........

बनाम

कु.आंकाक्षा चौधरी बलवीर वगैरा

ा हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.06.2019	वकील प्रार्थीया उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद में वकील सायला ने शपथ पत्र, नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया। वकील सायला को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायला के पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जबाव तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0नं0 949 रकवा 0.49 967 रकवा 0.29 968 रकवा 0.23 1005 रकवा 0.46 1010 रकवा 0.71 1012 रकवा 0.56 1013 रकवा 0.49 1014 रकवा 0.47 1024 रकवा 0.49 1025 रकवा 0.44 1812 रकवा 0.28 1813 रकवा 0.16 1814 रकवा 0.27 1815 रकवा 0.24 1816 रकवा 0.24 1817 रकवा 0.27 कुल किता 16 कुल रकवा 6.0900है0 हिस्सा 2/5 वाके ग्राम सौंख तहसील कठूमर के रिकार्ड एवं मौके कि यथा स्थिति बनाये रखें । अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 5.8.2019 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 5.8.2019 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) 5/8/19 वकील .... उपस्थित। मासिक आदेश दिनांक 14.6.19 की पालना में पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 16/9 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	287 20.6.19

नम्बर तारीख हुक्म अहकाम की तामील	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/1/23	प्रकरण .... उपस्थित सक्षम ... आदेश दिनांक 10/2/20 की पालना में ... अतः ... शेष प्रति की तलबी दिनांक 2/2/23 .... को पेश हो खण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
2/2/23	प्रकरण .... उपस्थित सक्षम आदेश दिनांक 10/2/20 की पालना में ... शेष प्रति की तलबी दिनांक 13/2/23 .... को पेश हो खण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
13/2/23	मुकदमा उपस्थित वकील प्रार्थी द्वारा शेष प्रति० की तलबी आज दिनांक तक नहीं कराई गई। तलबी हेतु तलबाना पेश करने को पूर्व में काफी मौके प्रदान किये जा चुके हो बावजूद मौके के तलबाना पेश नहीं हुआ है अतः प्रा० पत्र० अदम पैरवी के तलबाना के अभाव में आज पेशी पर खारिज किया जाता है। पत्रावली मियाद शुमार होकर मुलाहिजा के बाद दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०	